

मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को चौपाल/पुलिस की पाठशाला लगाकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा के थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो/शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 06.06.2024 को शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा

इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) अभियान के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और विभिन्न परिस्थितियों पर उनके सहायतार्थ जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये/कराये जाने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-


आज दिनांक 06.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।



अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर टीम महोबा द्वारा जनपद के शॉपिंग मालों का भ्रमण कर अग्निशमन उपकरण को चेक किया गया तथा मॉकड्रिल कर अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग करने की विधि को बताया गया।

ग्रीष्मऋतु के दृष्टिगत अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 06.06.2024 को जनपद महोबा में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी के निकट पर्यवेक्षण में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा जनपद महोबा में अवस्थित विभिन्न शॉपिंग मॉल का फायर ऑडिट किया गया एवं वहाँ लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया वहाँ मौजूद स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं संबंधित को अग्निशमन व्यवस्था से संबंधित उपकरणों को स्थापित किये जाने एवं उन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, इस दौरान आग बुझाने के विभिन्न तरीकों को मॉकड्रिल के माध्यम से बताया गया एवं सभी को अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु जागरुक करते हुए जागरुकता पम्पलेट्स का वितरण किया गया।



थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा मु0अ0सं0 158/2022 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना कबरई से सम्बन्धित अभियुक्त चेताराम पाल उर्फ चैतू पाल पुत्र भग्गू पाल, निवासी मकबरई थाना कबरई जिला महोबा द्वारा अपनी पत्नी गेंदारानी के नाम अवैध तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति से क्रय किये दो मंजिला मकान मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा अनुमानित कीमत 17,02,461/- लाख रुपये की संपत्ति का जब्तीकरण किया गया।


शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में थाना कबरई मे पंजीकृत मु0अ0सं0 158/2022 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गैंगलीडर 1. चेताराम पाल उर्फ चैतू पाल पुत्र भग्गू पाल महोबा द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों से अवैध धन अर्जित करके अपने व अपने परिवारीजनो के नाम अर्जित की सम्पत्ति का श्रीमान जिला अधिकारी महोबा के आदेश के क्रम में पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुहल्ला भटीपुरा कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद स्थित अवैध भवन संख्या 70.82 वर्ग मीटर व 17.84 वर्ग मीटर जिसकी मूल्यांकन कीमत 17 लाख 02 हजार 461 रुपये की सम्पत्ति को कुर्क/जब्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही अन्तर्गत धारा 14(1) गैग्रेस्टर एक्ट के तहत की गई।

अभियुक्त का नाम पता-

चेताराम पाल उर्फ चैतू पाल पुत्र भग्गू पाल निवासी मकबरई थाना कबरई जिला महोबा

संयुक्त टीम का विवरण-

1. प्रशासक श्री प्रमित सचान नायव तहसीलदार महोबा
2. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
3. अपराध निरीक्षक श्री निर्मल कुमार बाजपेयी
4. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कबरई मय पुलिस बल
5. प्र0उ0नि0 निकिता शुक्ला
6. कां0 मुकेश सिंह
7. कां0 प्रवीण कुमार यादव



गैग्रेस्टर एक्ट के अभियुक्त व हिस्ट्रीशीटर चेताराम पाल उर्फ चैतू पाल व उसकी पत्नी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी लगभग 17 लाख 02 हजार 461/- मूल्य की अचल संपत्ति को 14 (1) गैग्रेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया ।

